SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURTORALK. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

| Case No Somplaint of report madeon |
|--|
| |
| 3150 |
| Name and address of the Complainant. |
| ······································ |
| |
| Name, parentage, caste and address of accused |
| of of the Staringment wires |
| foro- mistrici hose contin mmaye |
| |
| |
| The offence, complainant of, and date of, its alleged commission |
| आप पर आरोप है कि दिनांक 28/16/17 गुकाम 7220 पि प्रदर्ग राजन पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अध्ये |
| 7220 H प्रदूर 1 1109 पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अध्ये |
| आधिपत्य में 22 ल्बारी लीटर/पाव/बोतल 22 शराब विकथ/परिव्रहन हेतु रखी। |
| ऐसा करके आपने आवकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय |
| अपराघ कारित किया। |
| क्या आपको उक्त अवराध रवीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। |
| |
| The piga of towar, sad and his examination (if any) |

部原-

इत्यान सहीकार है। यून युवर से विस्तान करना कार्निकत

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

//निर्णय:// (आज दिनांक .../3/!!//-) को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेय्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02 संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

95

अंग्लेश्व सम्पति ... 22 अस्प/पाव/बोतल क्रिकेट शराब एक क्षणीय हेतु अनेकारक हो को कारण आपील अवधि प्रश्चांच तियमानुसार

